

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर  
मोती झील, कानपुर

पत्रांक / का०वि०प्रा०/20....-20....

दिनांक

आवंटन पत्र

Subject: Regarding Allotment of a Property in [redacted] Scheme  
विषय: संपत्ति आवंटन के संबंध में  
Mode of Allotment : Lottery

सेवा में,

श्री/श्रीमती [redacted] AT  
पिता/पति [redacted]

महोदय/महोदया,

With reference to above sited subject, I have been directed to inform you that a Property has been allotted under and your particulars are given  
उपरोक्त विषयक योजना के अंतर्गत निम्नानुसार संपत्ति का आवंटन आपको किया जाता है।

Property ID:	Property No.:
Category:	Property Code:
Scheme:	Floor:
Sector:	Sub Scheme:
Property Type:	Section:
Registration Amount:	Building Type:
Area:	Property Cost:
Handicapped:	Senior Citizen:

नियम व शर्तें:

- 1 भवन/भूखंड के मद में बकाया संपूर्ण धनराशी आवंटन पत्र निर्गत तिथि से ३० दिन के अंदर जमा करने पर १/४ धनराशी को छोड़कर ३/४ धनराशी पर ५ प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 2 भवन/भूखंड के मद में जमा की जाने वाली धनराशि उपरोक्त तालिका में तिथि के साथ अंकित है जिससे निर्धारित तिथि के अंदर धनराशि न जमा करने पर नियमानुसार दंड ब्याज देय होगा निर्धारित तिथि के अंदर भुगतान न करने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा जमा धनराशि पर २० प्रतिशत कटौती कर अवशेष धन वापस कर दिया जायेगा।
- 3 सम्बंधित भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर निबंधन किया जा सकेगा, साईट प्लान के अनुसार यदि क्षेत्रफल में कोई बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी होती है तो नियमानुसार मूल्य लिया जायेगा तथा कार्नर होने पर भूखंड कीमत का १० प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
- 4 आवंटी पति/पत्नी में किसी एक को पूर्व में कोई भवन /भूखंड आवंटित है या इन भवन /भूखंडों के आवंटन में पति/पत्नी दोनों के द्वारा अलग अलग दो भूखंडों का आवंटन साक्ष्य को छिपाते हुए कराया है तो भूखंड का आवंटन निरस्त करने के साथ प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।
- 5 आवंटी को निबंधन के पूर्व भवन / भूखंड के मूल्य का १२ प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज जमा करना होगा।
- 6 यदि किसी कारण से भवन/भूखंड विवादित हो जाता है तो किसी भी दशा में वैकल्पिक भूखंड का आवंटन नहीं किया जायेगा एवं जमा धनराशी बिना किसी कटौती के वापस कर दिया जायेगा।
- 7 भूखण्ड मूल्य का अवशेष १/४ धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8 आवंटित भवन/भूखंड का साइड प्लान उपलब्ध होने पर आवंटी द्वारा पूर्ण भुगतान करने के पश्चात निबंधन हेतु भेजे गये सुचना पत्र के अनुसार यदि आवंटी निबंधन नहीं कराता है तो नियमानुसार रुपया २.०० प्रतिवर्ग मीटर की दर से कब्जा प्राप्त करने की तिथि तक चौकीदारी शुल्क प्रतिमाह देय होगा।
- 9 आवंटी यदि सम्पूर्ण भुगतान बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर करना चाहता है तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते सम्पूर्ण धन जमा कर निबंधन अपने पक्ष में करा ले, बिंदु संख्या ९ को ही अनापत्ति पत्र समझा जाये।
- 10 भूखंड के मद में देय धनराशि को एक्सिस बैंक की निम्न शाखाओ- सिविल लाइन्स मेन ब्रांच, पी० रोड, स्वरूप नगर, काकादेव, जाजमऊ शास्त्री नगर, लखनपुर, किदवई नगर में जमा की जा सकेगी।
- 11 आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से ३/४ धनराशि को यदि आवंटी किस्त प्रारम्भ होने की तिथि से पहले जमा करता है तो नियमानुसार बिलम्ब अवधि तक व्याज देय होगा तथा कोई छूट देय नहीं होगी।

किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

भवदीय,

अधिशायी अभियन्ता